

Hydrosphere

- ↳ ऊर्जा उत्पादन

- ①

• ऊष्मा का बजट $\rightarrow$ CO_2 अवशोषण - Heat Sink
 $\hookrightarrow$ जल धाराएँ

• ऊर्जा का सृजन: जीवाणु $\rightarrow$ नवीकरणीय
(ज्वरीय तरंग)

• आवास — जैव विविधता

• सामरिक महत्व $\rightarrow$ तटरेखा $\rightarrow$ पोर्ट
 $\rightarrow$ आयात/निर्यात
 $\rightarrow$ जलमार्ग सुरक्षा

• जलवायु प्रभाव: तटीय मौसम
 $\hookrightarrow$ आर्द्रता, तापान्तर

• सामाजिक — सांस्कृतिक

जमक के स्रोत $\rightarrow$

- नदी द्वारा महाद्वीपीय निक्षेप (चट्टानों)
- वाह्य अंतरिक्ष (उल्का पिंड)
- जैविक निक्षेप
- ज्वालामुखी

5- महासागर →

- ① प्रशांत महासागर
- ② अटलांटिक महासागर
- ③ हिन्द महासागर
- ④ दक्षिणी महासागर
- ⑤ आर्कटिक महासागर

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि →

10 दिसंबर 1982 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया, 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है, समुद्री संधनों के प्रयोग के लिये नियमों की स्थापना करता है।

इसके तहत समुद्री साधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है-

- i) आंतरिक जल (IW)
- ii) प्रादेशिक सागर (TS)
- iii) अन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)

